**प्रधान सचिव, खान एवं भूतत्व विभाग, बिहार, पटना के अध्यक्षता में दिनांक 13.10.2018 को पूर्वाह्न 11.00 बजे से PMKKKY योजना से संबंधित क्षेत्रीय पदाधिकारियों के साथ बैठक की कार्यवाही ।**

उपस्थिति संलग्नः–

सर्वप्रथम प्रधान सचिव द्वारा बैठक में उपस्थित प्रभारी क्षेत्रीय खनन पदाधिकारियों से परिचय प्राप्त कर बैठक की कार्यवाही प्रारंभ की गई । तत्पश्चात् प्रधान सचिव के निर्देश पर परामर्शी के द्वारा प्रधानमंत्री खनिज क्षेत्र कल्याण योजना के मूलभूत सिद्धांत एवं मार्गदर्शिका के प्रावधानों से क्षेत्रीय पदाधिकारियों को अवगत कराया गया ।

*2*– परामर्शी के द्वारा इस सम्बन्ध में बताया गया कि प्रधानमंत्री खनिज क्षेत्र कल्याण योजना खनिज क्षेत्र एवं खनिज कार्य में संलग्न व्यक्तियों के कल्याण एवं विकास हेतु लागू की गयी है । बिहार में बिहार जिला खनिज फाउंडेशन नियमावली 2018 गठित है तथा इसके अन्तर्गत खान एवं भूतत्व विभाग द्वारा खान मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा इस कल्याण योजना के लिए बनाये गये मार्गदर्शिका के प्रमुख अवयवों को रेखांकित करते हुए योजनाओं के चयन, स्वीकृति, कार्यान्वयन एवं अनुश्रवण हेतु दिशा–निर्देश सूत्रित किये गये हैं जो राज्य सरकार के अनुमोदन के अन्तिम चरण में है ।

इस क्रम में प्रधानसचिव द्वारा बताया गया कि इस कार्यक्रम के तहत् स्वीकृत एवं कार्यान्वित योजनाओं की नियमित समीक्षा भारत सरकार द्वारा इस कार्यक्रम के लिए कर्णांकित पोर्टल के माध्यम से की जाती है । विगत् माह में इस कार्यक्रम के प्रगति की समीक्षा स्वयं माननीय प्रधानमंत्री, भारत सरकार द्वारा सभी राज्य सरकारों से की गयी है । अतः क्षेत्रीय पदाधिकारियों से यह अपेक्षा है कि वे इस कार्यक्रम के कार्यान्वयन में विशेष अभिरूचि लें। इस प्रसंग में प्रधान सचिव द्वारा यह भी निदेश दिया गया कि इस कार्यक्रम के तहत् सामान्यतः विभागीय विकास योजनाओं से इतर नवाचार प्रकृति की योजनाओं का चयन एवं कार्यान्वयन कराया जाय ताकि खनिज क्षेत्र के विकास एवं खनिज कार्य में संलग्न लोगों के बीच एक सकारात्मक संदेश जाय ।

खनन क्षेत्र में कार्यरत मजदूरों को कोई दुर्घटना होने पर तत्काल Ambulance के अभाव के कारण भारी कठिनाई होती है । इसलिए संबंधित समाहर्त्ता से सम्पर्क स्थापित कर PMKKKY के अन्तर्गत Ambulance उपलब्ध कराने पर भी विचार किया जा सकता है ।

***3***— विभागीय कार्यों की समीक्षा के क्रम में प्रधान सचिव द्वारा निम्नलिखित निदेश दिये गयेः—

- सीमावर्त्ती जिला विशेषकर बांका जिला में अवैध खनन की रोकथाम हेतु त्वरित कार्रवाई की जाय । आवश्यकतानुसार छापेमारी के क्रम में भाड़े पर वाहन रखें। साथ ही छापेमारी के क्रम में सैप/होमगार्ड के साथ संबंधित खनन पदाधिकारी भी रहेंगे ।
- अगर कोई पदाधिकारी द्वारा छापेमारी के दौरान अपने कार्यों के प्रति लापरवाही/शिथिलता बरती जाती है तो उनके विरूद्ध प्रपत्र 'क' गठित कर सुसंगत धाराओं के तहत् कार्रवाई की जायेगी ।
- शेरघाटी प्रखंड में नदी के किनारे—किनारे बालू का अवैध भण्डारण कर बालू माफियाओं द्वारा अवैध परिवहन की जा रही है । अतः गया जिला के प्रभारी पदाधिकारी को निर्देश दिया गया कि इस संबंध में सत्यापित करें कि 'एल' लाईसेंस निर्गत है अथवा नहीं ? अगर 'एल' लाईसेंस निर्गत नहीं है तो नियमानुसार कानूनी कार्रवाई करें ।
- प्रवर्त्तन पदाधिकारी के संबंध में प्रधान सचिव द्वारा निदेश दिया गया कि जिन जिलों में प्रवर्त्तन पदाधिकारी की प्रतिनियुक्ति की गई है, उनके द्वारा अपने कार्यों के प्रति शिथिलता एवं लगातार अनुपस्थित पाये जाते हैं तो उन्हें वापस कर मुख्यालय को सूचित करें ताकि प्रवर्त्तन पदाधिकारी की नई नियुक्ति की जा सके ।

- रोहतास जिला के प्रभारी पदाधिकारी द्वारा बताया गया कि वहाँ के ट्रांसपोर्टर के साथ एक बैठक हुई है जिसमें ट्रांसपोर्टरों द्वारा निर्णय लिया गया कि वाहनों पर ओवरलोडिंग नहीं किया जायेगा । रोहतास जिला में ओवरलोडिंग नियंत्रण में है । इस पर प्रधान सचिव द्वारा निरन्तर निगरानी रखने का निदेश दिया गया।
- भोजपुर जिला के प्रभारी पदाधिकारी द्वारा अवगत कराया गया कि बालूघाट से सटे मुख्य मार्ग पर सात धर्मकांटा स्थापित हो चुका है एवं 37 घाटों पर अभी धर्मकांटा स्थापित किया जाना है । अतः भोजपुर जिला के प्रभारी पदाधिकारी को निर्देश दिया जाता है कि समाहर्त्ता, भोजपुर से सम्पर्क स्थापित कर यथाशीघ्र कार्रवाई सुनिश्चित करें ।
- समीक्षा के क्रम में यह भी निदेश दिया गया कि बालू के कीमत में उचित मूल्य निर्धारण को नियंत्रण में रखा जाये ताकि आम जनता को कठिनाई न हो ।
- PMU के कर्मियों को निर्देश दिया गया कि बालूघाटों पर कोई तकनीकी समस्या न हो । इस संबंध में PMU के दो कर्मियों को रात्रि सेवा उपलब्ध कराने का निदेश दिया गया ताकि e-challan में कोई समस्या न हो ।
- विभाग में गठित नियंत्रण–कक्ष के दूरभाष पर वांछित सूचनाएँ प्रभारी पदाधिकारियों के माध्यम से ही दर्ज कराई जाय । प्रभारी पदाधिकारियों द्वारा अपने स्तर से कृत कार्रवाई का सही आँकड़ा मुख्यालय में गठित नियंत्रण–कक्ष को उपलब्ध करावेंगे ।
- प्रधान सचिव द्वारा यह भी निर्देश दिया गया कि विभिन्न जिलों में Separate Corpus Fund में जमा राशि को DMF Account में Transfer करने हेतु अपने–अपने जिलों के समाहर्त्ता महोदय से सम्पर्क स्थापित कर यथाशीघ्र कार्रवाई सुनिश्चित करें ।

• NMET के संबंध में अवगत कराया कि भारत सरकार से विभाग में पत्र प्राप्त हुआ है । इस आशय की सूचना सभी प्रभारी क्षेत्रीय पदाधिकारियों को सूचित करने का निदेश उप निदेशक, मुख्यालय को दिया गया ।

अन्त में धन्यवाद ज्ञापन के साथ बैठक की कार्यवाही सम्पन्न की गई ।

ह0/–
(अंशुली आर्या)
प्रधान सचिव ।

बिहार सरकार
<u>खान एवं भूतत्व विभाग</u>

ज्ञापांक–प्र0–1(DMF)-03/18-4084 /एम0, पटना, दिनांक–25/10/18

प्रतिलिपिः– माननीय मंत्री, खान एवं भूतत्व विभाग, बिहार, पटना के आप्त सचिव/प्रधान सचिव, खान एवं भूतत्व विभाग, बिहार, पटना के प्रधान आप्त सचिव/निदेशक, खान एवं भूतत्व विभाग, बिहार, पटना /संयुक्त सचिव, खान एवं भूतत्व विभाग, बिहार, पटना/परामर्शी, बी0एस0एम0सी0, पटना/ सभी प्रभारी क्षेत्रीय पदाधिकारियों जिला खनन कार्यालय, गया/रोहतास/बांका/शेखपुरा/जहानाबाद/औरंगाबाद /भोजपुर/पटना/ आई0टी0 प्रबंधक को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

25/10/18
(आनन्द प्रकाश सिन्हा)
उप निदेशक,
खान एवं भूतत्व विभाग ।